न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 41 / 2024 दर्ज दिनांक : 24.07.2024

1. चोथुराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सीताराम पुत्र जालूराम उर्फ नानूराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. घनश्याम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू
2. मेतीलाल पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक चूरू तहसील व जिला चूरू
3. संवरमल पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
4. गणेश पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
5. मन्जू देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
6. खेत देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
7. सोना देवी पुत्री भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
8. कालू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
9. गंगा पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
10. बबलू पुत्र भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
11. माया पुत्री भगवानाराम पुत्र भोलूराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
12. रामकुमार पुत्र परमेश्वारी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
13. ताराचन्द पुत्र परमेश्वारी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
14. रामेश्वर पुत्र परमेश्वारी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
15. गुडडी पुत्री परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:02 IST
Reason: SelfAttested

16. विशाल पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
17. विनित पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
18. प्रीति पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
19. सपना पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
20. पूनम पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
21. अंजू पुत्री मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
22. भवरलाल पुत्र मनीराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
23. गिरधारीलाल पुत्र मनीराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
24. गीता पुत्री मनीराम पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
25. सन्तोष पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
26. मीरा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
27. कमल पुत्र बनवारीलाल पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
28. धोलू पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
29. मनीष पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
30. मोहित पुत्र बनवारीलाल पुत्र मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
31. जोनी पुत्र सुमित्रा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
32. पूजा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
33. रामस्वरूप पुत्र सुमित्रा पुत्री मनी पुत्र दुर्गाराम जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती, चांदनी चौक तहसील व जिला चूरू
34. श्रीमान उप पंजियक महोदय, चूरू
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू तहसील व जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री शिवगौतम,
प्रतिवादी श्री भरतसिंह राठौड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

: निर्णय :

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अदालतवाला में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थीगण को पूर्ण आशा है।
2. यह कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी संख्या 01 से 33 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 510/385 तादादी 7.7269 हेक्टेयर (30 बीघा 10 बिस्वा) वाके रही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू जिसमें से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हेक्टेयर (13 बीघा) दिनांक 03.06.1976 को जरिये बैनामा द्वारा क्रय की गई थी जिसका पंजीयन उप पंजीयक चूरू कार्यालय में करवाया गया है। क्रय करने के बाद उक्त कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त व अधिकार मालिकाना निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है।
3. यह कि प्रार्थीगण व आपत्तिगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 510/385 तादादी 7.7269 हेक्टेयर (30 बीघा 10 बिस्वा) में से कृषि भूमि तादादी 3.2877 हेक्टेयर (13 बीघा) वाके रही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू प्रार्थीगण की खरीदीशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है, जिसमें आपत्ति संख्या 01 से 33 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।
4. यह कि आपत्तिगण के पिता व दादा दुर्गाराम की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 385 तादादी 51 बीघा 11 बिस्वा थी, जिन्होंने हम प्रार्थीगण के पिता व दादा जालूराम उर्फ नानूराम जाट मालाराम जाति जाट निवासीगण चूरू को दिनांक 03.06.1976 को 13 बीघा जमीन जरिये बेचान एवं दिशा सहित विक्रय कर दी। हम प्रार्थीगण के दादा व पिता जो कि कमाने खाने हेतु बाहर रहते थे, प्रार्थीगण जो कि एक अनपढ़ भोले–भाले मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, जिन्होंने तत्समय राजस्व कर्मचारियों को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया था, मगर इसके बावजूद भी उसके नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो पाया था, जिसका पता चला तो प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति कार्यालय से निकलवाई। और उक्त दिनांक 19.07.2024 को हल्का पटवारी के पास प्रार्थीगण इंतकाल दर्ज करवाने के लिए गया तो वहाँ पता चला कि उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आज भी पूर्व स्वामी के नाम दर्ज हो रही है। तब प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से कहा कि उक्त इंतकाल हमारे नाम दर्ज कर दो, मगर हल्का पटवारी ने यह कहा कि विक्रय पत्र काफी समय पहले का है। इसके लिए आपको माननीय न्यायालय में दावा करके उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवानी होगी। इसलिए उक्त दावा अदालत मार्फत पेश किया जा रहा है। विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति दावा हर्जा के साथ संलग्न है।
5. यह कि उसके बाद आपत्तिगण के पिता व दादा दुर्गाराम पुत्र आसाराम के द्वारा एक अन्य विक्रय पत्र दिनांक 06.04.19[illegible] [illegible] रा नं. 385 है, जिसके विक्रय पत्र में दिशा बताते हुए विक्रय किया गया था, [illegible] खाता विभाजन अलग हो गया, जिसका ख. नं. 511/385 तादादी [illegible] ग्राम कड़वासर तहसील व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला चूरू, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर अलग खाता कायम हो गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी व विक्रय पत्र दावा हर्जा के साथ संलग्न है।

6. यह कि हल्का पटवारी से प्रार्थीगण ने जमाबंदी निकलवाई तो पता चला कि आपत्ति संख्या 01 से 33 ने पूर्व विक्रेता दुर्गाराम पुत्र आसाराम के वारिसान ने उक्त कृषि भूमि का कपटपूर्वक इंतकाल दर्ज करवा लिया और पैतृक इंतकाल दर्ज करवाने की फिराक में है, जिसमें उक्त कृषि भूमि का पैतृक इंतकाल दर्ज करवाकर विक्रय पत्र, उपहार पत्र, हक त्याग पत्र आदि आदि करवा सके। इसलिए श्रीमान उप पंजीयक महोदय चूरू को बतौर प्रार्थना बताया गया है।

7. यह कि कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता व दादा जालूराम उर्फ नानूराम पुत्र आसाराम द्वारा वैधतः क्रय की गई है, जिसका उसने विधिवत रूप से लिखित पत्र निष्पादित व संपादित करवाकर कृषि भूमि का मौके पर भौतिक कब्जा व स्वामित्व प्राप्त कर लिया व विक्रय पत्र निष्पादित करवाने के पश्चात उसकी सूचना भी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दी थी, परंतु किसी कारणवश राजस्व कर्मचारियों ने उसके नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया, जिसका नाजायज लाभ उठाकर आपत्ति संख्या 01 से 33 ने छल व बेईमानी से उस पर बैंक से विरासतांत इंतकाल दर्ज करवा लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

8. यह कि प्रार्थीगण ने आपत्ति संख्या 01 से 33 को कहा व कहलवाया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर उन्होंने जो बेईमानी व छलपूर्वक इंतकाल दर्ज करवा लिया है, वह निरस्त करवा दें व हमारे साथ चलकर राजस्व विभाग में हमारे नाम का अंकन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवा दें, मगर आपत्ति संख्या 01 से 33 टाल–मटोल करते रहे एवं आखिरकार दिनांक 19.07.2024 को आपत्ति संख्या 01 से 33 ने ऐसा करने से साफ–साफ इंकार कर दिया। प्रार्थीगण को साफ मना करने के कारण वादकारण तथा वाद–हेतु प्रार्थीगण को भूमि मंजूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

9. यह कि निवास स्थान फरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू में अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, इसलिए अदालतवाला को वाद के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र मय शुल्क शुल्क कोर्ट फीस पर हर प्रकार से जानकरी होते ही अद्यतन नियमाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. यह कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सिद्धांत व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति संख्या 01 से 33 को तात्कालिक वाद वर्जित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 510 / 385 तादादी 7.7269 हेक्टेयर (30 बीघा 10 बिस्वा) वाके रही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू को राजस्व रिकॉर्ड में विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1976 में खरीदीशुदा कृषि भूमि तादादी 3.2877 हेक्टेयर (13 बीघा) के आधार पर व कब्जा काश्त के आधार पर प्रार्थीगण ही मालिक व स्वामी होने के कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण की ... से ना रोके, ना बेदखल करें, ना ही किसी दीगर व्यक्ति द्वारा ऐसा करवावे एवं ... पर ... कार्य से अकृषि कार्य ना किया जावे एवं ना ही किसी प्रकार का ... प्रार्थीगण पर किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:02 IST
Reason: SelfAttested

विपरीत असर ना पड़े, जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता आनन्द प्रजापत व अप्रार्थी संख्या 01, 05 से 33 की ओर से अधिवक्ता भरतसिंह राठौड उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता भरत सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बंहस में अंधिवक्ता प्रार्थी नें प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर गौर किया गया। संलग्न दस्तावेज जमाबदी संवत 2074 रोही ग्राम कड़वासर खेत खसरा नम्बर 510 / 385 तादादी 7.7269 हैक्टेयर में कालू, खेतीदवी, गंगा, गणेश, घनश्याम, तीजा देवी, परमेश्वरी, बबलू, मन्जू देवी, मनी देवी, माया, मोतीलाल, सावित्री, सांवरमल, सोनी देवी खातेदार दर्ज है। संलग्न बैनामा दिनांक 06.04.1985 में दुर्गाराम पुत्र आसाराम ने 51 बी बभ्धा 16 बिश्वा भूमि में 21 बीघा भूमि चौथुराम पुत्र भैराराम को विक्रय की गई है। जो उप पंजीयक चूरू की पुस्तक संख्या 01 पृष्ठ संख्या 48 क्रम संख्या 216 पर दिनांक 06.04.1985 दर्ज है।

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा- हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः उनका जवाब बंद किया गया। दोनों पक्षों के गुण–अवगुण पर विचार किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 510 / 385, रकबा 7.7269 हेक्टेयर, ग्राम कड़वासर, तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसमें से 3.2877 हेक्टेयर (13 बीघा) भूमि प्रार्थीगण के पिता / दादा द्वारा दिनांक 03.06.1976 को विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी। क्रय के पश्चात से प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा, काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा है। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश उक्त भूमि का इंतकाल उनके नाम दर्ज नहीं हो पाया, जिसका लाभ उठाकर अप्रार्थीगण द्वारा कपटपूर्वक पैतृक / विरासतांत इंतकाल दर्ज करवा लिया गया है। यदि अप्रार्थीगण को रोका नहीं गया तो वे भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं अथवा भूमि का अन्य हस्तांतरण कर सकते हैं, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण का दावा मुख्यतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के आधार पर है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र संबंधी तथ्य प्रथम दृष्टया अधिक प्रबल प्रतीत होते हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1976 के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में मामला स्थापित करते हैं। यदि यथास्थिति बनाए रखी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई विशेष क्षति नहीं होगी, जबकि निषेधाज्ञा न दिए जा[illegible]गण को गंभीर व अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः सुविधा का [illegible] है। भूमि से संबंधित विवाद में यदि कब्जा, निर्माण या हस्तांतरण हो जा[illegible] संभव नहीं होती। अतः अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:02 IST
Reason: SelfAttested

क्षति की संभावना प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

निर्णय

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का जारी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम कड़वासर खेत खसरा नम्बर 510/385 के मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति ता फैसला दावा बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:02 IST
Reason: SelfAttested